बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-MMGSY-121/2018 609 /पटना, दिनांक– 11.6.2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास–उप शीर्ष–0113 (सामान्य), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–लघुशीर्ष–789–उप शीर्ष–0104 एवं जनजातीय क्षेत्र उप योजना–लघुशीर्ष–796–उप शीर्ष–0109 के अन्तर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अनुसूचित जाति) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2020–21** के लिए कार्य प्रमंडल, **रजौली** के अधीन **27 (सत्ताईस)** पथ योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है:–

Sl No.	Division	Category	Block	Name of Road	Priority/ SL No. of SCN/ SSCN-I	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rajauli	SC	Govindpur	T02 To Katruchak West Tola	7293	0.720	275	57.050
				Total		**0.720**		**57.050**
2	Rajauli	SC	Meskor	Akari Panre Bigha To Akari Panre Bigha	7342	0.480	404	31.170
3	Rajauli	SC	Meskor	Mirzapur (Nawal Chak) To Pawai To Manjahway Road	7366	0.240	750	17.180
4	Rajauli	SC	Meskor	Gharohi To Barosar To Woraina Road	7350	0.280	250	20.820
5	Rajauli	SC	Meskor	Mirzapur (Satan Bigha) To Husanchak To Mirzapur	7348	0.470	1120	32.760
				Total		**1.470**		**101.930**
6	Rajauli	SC	Narhat	Hisua Khanma Path To Kutnibigha	16	0.440	508	38.140
7	Rajauli	SC	Narhat	Gulabbigha To Road	7400	0.690	1100	46.980
8	Rajauli	SC	Narhat	Rajbanditola To Road	7405	0.370	330	26.890
9	Rajauli	SC	Narhat	Palikala To Nadsena L028 To Daulatpura Devisthan	7409	0.330	370	25.660
10	Rajauli	SC	Narhat	Babhan Tola To Road	7411	0.940	385	55.960
11	Rajauli	SC	Narhat	Habitation To Habitation	7414	0.920	256	70.790
				Total		**3.690**		**264.420**
12	Rajauli	SC	Rajauli	Targir To Rajan	3	2.650	1015	190.070
13	Rajauli	SC	Rajauli	Tulsi Bigha To T06	7458	0.350	290	24.717

10/6/2020

Sl No.	Division	Category	Block	Name of Road	Priority/ SL No. of SCN/ SSCN-I	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Rajauli	SC	Rajauli	Langura To T06	7457	0.380	350	27.000
15	Rajauli	SC	Rajauli	Salempur To L035	7451	0.420	460	30.880
16	Rajauli	SC	Rajauli	Sohada To L058	7460	0.370	660	27.560
17	Rajauli	SC	Rajauli	Gadhpar To L029	7454	1.350	324	117.140
				Total		**5.520**		**417.367**
18	Rajauli	SC	Roh	Yadav Tola To L041	7470	0.500	625	35.530
19	Rajauli	SC	Roh	Kunj Bhatta Path To Jakhaura	3	0.860	856	66.790
20	Rajauli	SC	Roh	Ghorahi To T01MDR	7474	0.420	280	32.150
				Total		**1.780**		**134.470**
21	Rajauli	SC	Sirdala	T09 to Beldari (Bhola Kurha)	7499	0.400	440	28.694
22	Rajauli	SC	Sirdala	T09 to Mohanpur (Bhola Kurha)	7502	0.400	824	29.022
23	Rajauli	SC	Sirdala	Simra Tanr Harijan Tola To Nim Dhora	7540	0.540	275	42.580
24	Rajauli	SC	Sirdala	Ram Ray Chak Tola To Jirwatari Harijan Tola	7537	0.760	272	58.960
25	Rajauli	SC	Sirdala	Dudhaili Road To Sahopur	7493	0.390	632	31.224
26	Rajauli	SC	Sirdala	Bairiyatarh Chokidar Tola To Khatangi More	7532	0.230	413	20.450
27	Rajauli	SC	Sirdala	L030 To Chulhari	7501	1.000	303	75.570
				Total		**3.720**		**286.500**
				Grand Total		**16.900**		**1261.737**

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक **03.06.2020** को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

(क) इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष **2020–21** एवं वर्ष **2021–22** में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **रजौली** योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क / पूरक राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **रजौली** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

(ड.) इस योजना के पंचवर्षीय रख–रखाव की राशि 3054 मद् से भारित किया जायेगा।

3. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

10/6/2020

4. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-**121/2018** के पृष्ठ–**08**/टि0 एवं संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-**44/2013** के पृष्ठ–**74**/टि0 पर प्राप्त है।

5. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–**03.06.2020** को संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-**121/2018** के पृष्ठ–**48**/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विश्ष्टिताओं/ विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशो का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

(घ) ,यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

(ड.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को स–समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-**121/18** पृष्ठ संख्या–....50..../टि0 पर दिनांक –....9.6.2020.... को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

10/6/2020

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः BRRDA(HQ)-MMGSY-121/18 609 /पटना, दिनांक– 11.6.2020

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, **मगध (गया)**/जिला पदाधिकारी, **नवादा**/उप विकास आयुक्त, **नवादा**/संबंधित कोषगार पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–**1**, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **गया**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **रजौली** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/2020

सरकार के अपर सचिव